समक्ष राजबीर सहरावत, जे.

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और अन्य - *याचिकाकर्ता*

बनाम

तरशम कुमार शर्मा — *प्रतिवादी*

2020 की सीआर संख्या 1905 (ओ एंड एम)

नवम्बर 27/2020

सिविल प्रक्रिया संहिता-1908-S.151-बैंक की नीति में यह प्रावधान है कि यद्यपि किसी कर्मचारी का त्यागपत्र ऑनलाइन मोड में स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी वह अपने त्यागपत्र नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि तक भौतिक रूप से अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है*— निर्धारित किया गया, *चूंकि बैंक ने खुद ऑनलाइन प्रक्रिया में इस्तीफे की कथित स्वीकृति के बावजूद कर्मचारी को काम करने की अनुमति दी, इसलिए बाद में इस्तीफा वापस लेने से इनकार करने की अपनी नीति से पीछे नहीं हट सकता — बैंक द्वारा संशोधन खारिज।

निर्धारित किया गया, अपीलीय न्यायालय ने आदेश में ठीक ही कहा है कि बैंक की नीति स्वयं कर्मचारी को इस्तीफा वापस लेने के लिए भौतिक मोड के माध्यम से प्रबंधक मानव संसाधन तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है; इस तथ्य के बावजूद कि इस्तीफा ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय की यह टिप्पणी इस तथ्य से पुष्ट होती है कि प्रतिवादी के इस्तीफे की कथित स्वीकृति पर, याचिकाकर्ता/बैंक ने प्रतिवादी को बैंक में काम करना बंद करने के लिए नहीं कहा था. इसलिए, यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तीफे की कथित स्वीकृति के बावजूद, प्रतिवादी को बैंक के कर्मचारी के रूप में माना गया था और उसे प्रतिवादी द्वारा अपने इस्तीफे के नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि तक नौकरी पर भी लिया गया था। इस तथ्य के मद्देनजर, प्रतिवादी को अपने इस्तीफे के नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि, यानी 01.06.2020 से पहले अपना इस्तीफा वापस लेने का पूरा अधिकार था। निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी ने उक्त इस्तीफे के नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि से पहले अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं/बैंक द्वारा निकासी

के उनके अनुरोध को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था कि उनका इस्तीफा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। बहुत तथ्य; याचिकाकर्ता-बैंक ने ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रतिवादी के इस्तीफे की कथित स्वीकृति के बावजूद प्रतिवादी कर्मचारी को काम करने की अनुमति दी; यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता-बैंक ने स्वयं इस्तीफे की स्वीकृति को अंतिम तथ्य के रूप में नहीं माना था. इसलिए, बैंक यह दावा नहीं कर सकता है कि इस्तीफा वापस लेने के लिए प्रतिवादी का अधिकार समाप्त हो गया; केवल इस तथ्य के कारण कि पहले उनका इस्तीफा ऑनलाइन प्रक्रिया में स्वीकार कर लिया गया था।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ताओं के वकील *संजीव कुमार यादव।*

सुरेश अहलावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए। अमित अग्रवाल, एएजी, हरियाणा।

राजबीर सहरावत, जे (मौखिक)

2020 का सीएम नंबर 6925-सीआईआई और 2020 का 9147-सीआईआई

1. ये आवेदन धारा 151 सीपीसी के तहत दायर किए गए हैं, अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रति दाखिल करने, उनकी सही टाइप की गई प्रतियों को रिकॉर्ड पर रखने और रिकॉर्ड पर रखने के लिए अनुबंध पी-11 से पी-13 को रखने से छूट।

2. इन अनुप्रयोगों की अनुमति है, सभी अपवादों के अधीन।

2020 का सीएम नंबर 6926-सीआईआई

3. यह आवेदन प्रतिवादी द्वारा इस मामले में पारित दिनांक 11.06.2020 के स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए सीपीसी की धारा 151 के तहत दायर किया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं के वकील ने उक्त आवेदन का जवाब दाखिल किया है जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।

5. चूंकि मुख्य मामले का निपटान किया जा रहा है, इसलिए स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन को निष्फल मानते हुए निपटाया जाता है।

6. यह याचिका प्रतिवादी द्वारा मूल वाद में दायर की गई है, जिसमें एलडी अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश, झज्जर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2020 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट के आदेश को उलटते हुए, अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवादी/वादी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी/वादी को याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा सेवा में वापस रखने का आदेश दिया गया था।

7. न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं: -

"अपीलकर्ता/वादी 10.03.2017 से कर्मचारी कोड ई-26501 शाखा कोड 11006 के तहत प्रतिवादी/प्रतिवादी का कर्मचारी था। वह वर्तमान अपील शुरू होने की तारीख को भी बैंक/कंपनी के लिए काम कर रहा था। फरवरी 2020 के महीने में प्रतिवादी/प्रतिवादियों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए कुछ झूठे आरोपों के कारण कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, गैर-जिम्मेदाराना तरीके से, उन्हें मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी नौकरी किसी अन्य बैंक/कंपनी में बदलने का फैसला किया और प्रतिवादी/प्रतिवादियों के वेब-पोर्टल पर अपना इस्तीफा दे दिया, 18.02.2020 को दबाव और परिस्थितियों में दिया गया। कि उनका इस्तीफा शाखा प्रबंधक, प्रबंधक प्रबंधक/क्लस्टर प्रमुख और क्षेत्रीय मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा 07.03.2020 और 09.03.2020, जैसा भी मामला हो, स्वीकार/अनुमोदित किया गया था। हालांकि, कोविड-19 वायरस की महामारी और इसके परिणामस्वरूप लॉक-डाउन के कारण, एक अनिश्चित और अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण, उन्हें कोई नई नौकरी नहीं मिली और तदनुसार, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया कि वह अपना इस्तीफा वापस लेने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उनके परिवार की आजीविका का कोई अन्य स्रोत नहीं था, और ऑफ-लाइन आवेदन किया, उसी को वापस लेने के लिए, 29.04.2020 को, चूंकि, प्रतिवादी/प्रतिवादियों की नीति के अनुसार, बैंक के एक कर्मचारी के इस्तीफे को रिपोर्टिंग प्रबंधक, प्रबंधक प्रबंधक और मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाना था और मामले में, इसे मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया गया था, निकासी केवल मानव संसाधन प्रबंधक, ऑफ-लाइन तक पहुंचकर शुरू की जा सकती थी। यह अपीलकर्ता/वादी का मामला था कि वह अपनी नौकरी/प्रभार छोड़ने से पहले किसी भी समय यानी 01.06.2020 तक, जिसे प्रतिवादी/प्रतिवादियों के वेब-पोर्टल पर अपना अंतिम कार्य दिवस दिखाया गया था, अपना इस्तीफा वापस ले सकता था। हालांकि, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए 29.04.2020 और 01.05.2020 को उनके वरिष्ठों (यानी एचआर कंट्री हेड और सीपीओ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मानव संसाधन विभाग) से अनुरोध किए जाने के बावजूद उनका इस्तीफा रद्द करने और उन्हें जबरन नहीं निकालने का जवाब दिया गया।

8. अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले वादी/प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। तथापि, अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उलट दिया है और प्रतिवादी/वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा प्रदान की है। उस आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान याचिका प्रतिवादी द्वारा मुकदमे में दायर की गई है।

9. याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिनांक 29.04.2020 के संचार के माध्यम से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसे याचिकाकर्ता-बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 07.03.2020 को स्वीकार किया गया और प्रबंधक मानव संसाधन द्वारा 09.03.2020 को अनुमोदित किया गया. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता-बैंक की नीति/विनियमन ने प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद प्रतिवादी के लिए इस्तीफा वापस लेने के अवसर पर विचार किया, लेकिन प्रबंधक मानव संसाधन के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होकर। हालांकि, प्रबंधक मानव संसाधन पर प्रतिवादी को अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देना बाध्यकारी नहीं था। इसलिए, यदि प्रबंधक मानव संसाधन ने वादी/प्रतिवादी द्वारा इस्तीफा वापस लेने की अनुमति नहीं दी है, तो प्रबंधक मानव संसाधन द्वारा लिए गए निर्णय में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार करने या न करने के लिए प्रबंधक मानव संसाधन का पूर्ण विवेक था; ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किए जाने के बाद त्यागपत्र वापस लेने के लिए। दलीलों का हवाला देते हुए वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी का आचरण भी संतोषजनक नहीं था। इसलिए, एलडी अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को गलत तरीके से उलट दिया है।

10. दूसरी ओर, वादी/प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने अपने इस्तीफे के लिए 90 दिन का नोटिस दिया था, जो 01.06.2020 को समाप्त होना था। चूंकि प्रतिवादी को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए, उन्होंने इस्तीफा वापस लेना उचित समझा। हालांकि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने 07.03.2020 और 09.03.2020 को इस्तीफा स्वीकार करने का दावा किया है, हालांकि, प्रतिवादी/वादी वास्तव में 31.05.2020 तक सही काम कर रहे थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि बैंक की नीति/विनियमन ने वादी को अपने इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया था, इसके बावजूद कि इसे ऑनलाइन मोड में स्वीकार कर लिया गया था, भौतिक मोड के माध्यम से अनुरोध करके, इसलिए, प्रतिवादी ने इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों को दिए गए प्रतिवादी/वादी के नोटिस में उल्लिखित

अंतिम तिथि से काफी पहले किया गया था। इसलिए, वादी/प्रतिवादी को प्रबंधक मानव संसाधन द्वारा मनमाने ढंग से बाहर नहीं किया जा सकता था। वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 07.03.2020 को इस्तीफे की कथित स्वीकृति और 09.03.2020 को अनुमोदित होने के बावजूद, वादी/प्रतिवादी को नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, ऑनलाइन प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी के इस्तीफे की कोई भी स्वीकृति इसकी प्रासंगिकता खो देती है। तदनुसार, प्रतिवादी/वादी को नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि तक अपना इस्तीफा वापस लेने का अधिकार था। उसने वही किया था। यहां तक कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी इसे सही ठहराया है। इसलिए, नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कुछ भी गलत नहीं है।

11. प्रतिवादी/वादी के वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता-बैंक का तर्क कि प्रतिवादी/वादी का आचरण संतोषजनक नहीं था, पूरी तरह से निराधार है। हालांकि याचिकाकर्ता-बैंक ने उन्हें उनके कथित कदाचार के लिए मेमो जारी किया था, लेकिन इस्तीफा वापस लेने के उद्देश्य से यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

12. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और केस फाइल का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय को विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं मिलता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आदेश में ठीक ही कहा है कि बैंक की नीति स्वयं कर्मचारी को इस्तीफा वापस लेने के लिए भौतिक मोड के माध्यम से प्रबंधक मानव संसाधन तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है; इस तथ्य के बावजूद कि इस्तीफा ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय की यह टिप्पणी इस तथ्य से पुष्ट होती है कि प्रतिवादी के इस्तीफे की कथित स्वीकृति पर, याचिकाकर्ता/बैंक ने प्रतिवादी को बैंक में काम करना बंद करने के लिए नहीं कहा था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तीफे की कथित स्वीकृति के बावजूद, प्रतिवादी को बैंक के कर्मचारी के रूप में माना गया था और उसे प्रतिवादी द्वारा अपने इस्तीफे के नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि तक नौकरी पर भी लिया गया था। इस तथ्य के मद्देनजर, प्रतिवादी को अपने इस्तीफे के नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि, यानी 01.06.2020 से पहले अपना इस्तीफा वापस लेने का पूरा अधिकार था। निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी ने उक्त इस्तीफे के नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि से पहले अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं/बैंक द्वारा निकासी के उनके अनुरोध को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था कि उनका इस्तीफा पहले ही स्वीकार कर लिया

गया है। बहुत तथ्य; याचिकाकर्ता-बैंक ने प्रतिवादी कर्मचारी को ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रतिवादी के इस्तीफे की कथित स्वीकृति के बावजूद काम करने के लिए प्रतिवादी कर्मचारी को काम करने की अनुमति दी; यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता-बैंक ने स्वयं इस्तीफे की स्वीकृति को अंतिम तथ्य के रूप में नहीं माना था। इसलिए, बैंक यह दावा नहीं कर सकता है कि इस्तीफा वापस लेने के लिए प्रतिवादी का अधिकार समाप्त हो गया; केवल इस तथ्य के कारण कि पहले उनका इस्तीफा ऑनलाइन प्रक्रिया में स्वीकार कर लिया गया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कोई अलग और विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है, जो प्रतिवादी ने भौतिक मोड के माध्यम से किया है।

13. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी का आचरण अच्छा नहीं था और बैंक ने उसे कदाचार के कारण मेमो जारी किया था, हालांकि, यह याचिकाकर्ता-बैंक द्वारा प्रतिवादी-कर्मचारी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करने का कारण भी नहीं है।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

15. तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी